न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 09 / 2018

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 06 / 02 / 2018

निर्णय दिनांक : 13/11/2019

1. सुवा पुत्र श्योनाथ, जाति जाट, निवासी पानवाकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।
2. भंवरिया उर्फ भंवरलाल पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी पानवाकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।
3. घीस्या उर्फ घीसा पुत्र भुवाना, जाति जाट, निवासी पानवाकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।
4. मांगीलाल पुत्र लादू, जाति जाट, निवासी पानवाकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।
5. सरजू पुत्री लादू पत्नी जीवण, जाति जाट हाल निवासी नौरंगपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राज0।
6. नौरती पुत्री लादू पत्नी रंगलाल, जाति जाट, हाल निवासी नौरंगपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
7. अमरी पुत्री लादू पत्नी जीवण, जाति जाट हाल निवासी रामपुरा तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राज0।

-- वादीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
श्री रामजीलाल शर्मा
श्री संजय सिंह
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/11/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 353 खसरा नम्बर 220 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.004 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकाब 0. 38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर नम्बर 223 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 करबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.19

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.08 हैक्टेय, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447 रकबा 1.73 हैक्टेयर कुल किता 22 कुल रकबा 6.92 हैक्टेयर, वाके ग्राम पानवांकलां तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी संख्या 1, 1/4 हिस्से का वादी संख्या 2,1/4 हिस्से का वादी संख्या 3, 1/4 हिस्से का एवं वादी संख्या 4 लगायत 7, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। विवादग्रस्त आराजी के साबिक एवं वर्तमान खसरा निम्न प्रकार से है–

हाल		साबिक	
खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
220	0.19	221	0.19
221	0.04	212	0.04
222	0.38	213	0.38
223	0.06	214	0.06
224	0.10	215	0.10
229	0.05	220	0.05
230	0.11	221	0.11
231	0.16	222	0.16
232	0.13	223	0.13
233	0.11	224	0.11
234	0.19	225	0.19
310	0.22	295	0.22
312	0.08	298	0.08
313	0.34	299	0.34
314	0.06	300	0.06
315	0.33	301	0.33
316	0.29	302	0.29
318	0.24	304	0.24
319	0.02	305	0.02
320	1.32	306	1.32
404	0.77	380	0.77
447	1.73	429	1.73

विवादग्रस्त आराजी का पर्चा सम्वत् 2011 में स्व. रामदेवा वल्द माधु कौम जाट निवासी पानवांकलां के नाम से जारी किया गया था जो वादीगण के बुजुर्ग थे, स्वर्गीय रामदेव नाऔलाद ही फौत हो चुके थे जिनके वारिश प्रविवादी संख्या 1 लगायत 3 व वादी संख्या 3 लगायत 7 के स्व. पिता लादू रहे है जिनके नाम स्व, रामदेव कि विरासत का नामान्तकरण उनके हक में तस्दीक किया गया। स्व. रामदेव नाऔलाद ही

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

फौत हो गया जिसके वादी संख्या 1,2,3 एवं वादी संख्या 4 लगायत 7 के स्व. पिता लादू कानूनी रूप से वारिश रहे है जिस पर वादी संख्या 1,2 व 3 एवं स्व. लादू के हक में स्व. रामदेव पुत्र माधु की विरासत का नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भरा गया था , नामान्तकरण जरिये नामान्तकरण संख्या 230 दिनांक 13.06.1976 इस ईबारत के साथ तस्दीक किया गया कि आज दिनांक 13.061976 को नामनन्तकरण समक्ष कोरम पेश हुआ रामदेव पुत्र माधु का स्वर्गवास हो चुका है, रामदेव बिना औलाद फौत हो चुका है तहसील में गोद का लड.का घीसा का नाम भरकर पेश किया जो गलत है, घीसा का किसी प्रकार का हक नही है उसका एकतरफा बयान लेकर दत्तक पुत्र मानना गलत है, रामदेव के परिवार के भाई चार है जो बराबर हक रखते है। अब रामदेव पुत्र माधु के स्वर्गवास होने के बाद सुवा, भंवरियां, लादू, घीसा बराबर हकदार है। अतः उपरोक्त चारों व्यक्तियों के नाम बराबर हक स्वीकार किया जाता हैं। वादीगण स्व. रामदेव की समस्त के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के नहीं होने पर द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी के तहत रामदेव की विरासत की सम्पत्ति में प्राप्त करने के अधिकारी होने से ग्राम पंचायत मरवा पं.स. दूदू द्वारा किया गया। वादी संख्या 1,2 व 3 एवं वादी संख्या 4 लगायत 7 के स्व. पिता लादू के हक में रामदेव की विरासत का नामान्तकरण जरिये नामान्करण संख्या 230 के भरकर तस्दीक किया गया लेकिन उनके नाम के आगे उनकी वल्दियत दर्ज करना पटवार हल्का सहवन से भूल गया और सिर्फ उनके नाम ही दर्ज कर दिये गये जबकि उक्त चारो व्यक्तियों की वल्दियत राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 230 सम्वत् 2029 से 2032 में दर्ज किया जो जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2035 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 की सुवा, वादी संख्या 02 की गंगाराम, वादी संख्या 03 की भुवाना, वादी संख्या 4 लगायत 7 के स्व. पिता लादू का नाम अंकन हुआ तब से विवादग्रस्त आराजी पर मौके अपने अपने हिस्से बंटवारा कर वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने आराजी का मौके पर विभाजन कर रखा है, लेकिन अभी हाल ही में वादीगण ने विवादित आराजी पर ट्यूबबैल लगवाने के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.01.2018 को जमाबन्दी पटवार हल्का पानवां कला से प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि सुवा, भंवरिया, लादू, घीसा जाट बराबर–बराबर हिस्सस दर्ज नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि सुवा पुत्र यह कि सुवा पुत्र श्योनाथ, भंवरिया पुत्र गंगाराम, घीस्या उर्फ घीसा पुत्र भुवाना एवं लादू पुत्र भागीरथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहियो था। जिस बाबत् वादीगण ने प्रतिवादी के समक्ष वल्दियत दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने के लिये कहां इसलिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दू अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र के पेरा संख्या 01 वाके ग्राम पानवाकलां तहसील दूदू में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 का 1/4 एवं वादी संख्या 4 ल0 7 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इस आशय की तहरीर तहसीलदार दूदू से पालनार्थ भिजवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। वकील वादीगण ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नकल प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029, नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 व 2029 से 2032 व सम्वत 2046 से 2049 नकल नामान्तरकरण संख्या 230 ग्राम पंचायत मरवा व नकल मिलान क्षैत्रफल एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029 के अनुसार विवादित आराजी का पर्चा रामदेवा वल्द मादू कौम जाट के नाम से आना पाया जाता हैं, जो मुताबिक वादी द्वारा प्रस्तुत सिजरा अनुसार वादीगण का पूर्वज रहा हैं, जिसकी फौती पर नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 13/06/1976 तस्दीक किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि "आज दिनांक 13/06/1976 को नामान्तरकरण समक्ष कोरम पेश हुआ। रामदेव पुत्र माधू का स्वर्गवास हो चुका हैं। रामदेव बिना औलाद फौत हो चुका है तहसील में गोद का लडका घीसा का नाम भरकर पेश किया जो गलत हैं, घीसा का किसी प्रकार का हक नही है, उसका एकतरफा बयान लेकर दत्तक पुत्र मानना गलत है, रामदेव के परिवार के भाई चार है, जो बराबर हक रखते हैं। अब रामदेव पुत्र माधू के स्वर्गवास होने के बाद सुवा, भंवरिया, लादू, घीसा बराबर हकदार हैं। अतः उपरोक्त चारों व्यक्तियों के नाम बराबर हक स्वीकार किया जाता हैं।" इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 230 के द्वारा रामदेव पुत्र माधू की फौती पर विरासत सुवा, भंवरिया, लादू, घीसा के नाम से दर्ज किया गया, जिसके आधार पर जमाबन्दी में जो

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

इन्द्राज किया गया उसमें भी मात्र सुवा, भंवरिया, लादू, घीसा ही दर्ज कर दिया गया एवं किसी प्रकार से वल्दियत दर्ज नही की गयी, जबकि मुताबिक सिजरा सुवा पुत्र श्योनाथ, भंवरिया पुत्र गंगाराम, घीस्या उर्फ घीसा पुत्र भुवाना व लादू पुत्र भागीरथ दर्ज होना चाहिये था। लादू का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिशान वादी संख्या 4 लगायत 7 हैं, अब वादी ने उक्त वाद पेश कर वल्दियत दर्ज कराते हुये खातेदार घोषणा चाही हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती हैं इस प्रकार वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अपने वाद–पत्र को पूर्ण रूप से साबित किया हैं मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 230 में चारों भाईयों के नामान्तरकरण दर्ज है, लेकिन वल्दियत दर्ज होना सहवन से रह गयी थी, जिसके आधार पर ही जमाबन्दी में भी वल्दियत दर्ज नही किया जाना पायी जाती हैं। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद–पत्र वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 353 के आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.004 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकाब 0. 38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर नम्बर 223 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 करबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.08 हैक्टेय, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447 रकबा 1.73 हैक्टेयर कुल किता 22 कुल रकबा 6.92 हैक्टेयर, वाके ग्राम पानवांकलां तहसील दूदू जिला जयपुर में दर्ज खातेदार सुवा, भंवरया, लादू, घीस्या जाट की वल्दियत सुवा पुत्र श्योनाथ, भंवरिया पुत्र गंगाराम, घीस्या उर्फ घीसा पुत्र भुवाना एवं लादू पुत्र भागीरथ दर्ज करते हुये वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 4 ल. 7 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31 [illegible]

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुकाम दूदू
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)

मुद्दई डा० श्योनाथ जाट बनाम 1. तहसीलदार तहसील दूदू
मुद्दायलह जवरिया (छगनलाल) दावा बावत छोबनी
डा० गंगाराम मुकदमा न. 09/2018 सन
सि० 17
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत RSD
मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री रामजीलाल शर्मा RSD
हाजरी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद वादग्रस्त आ० खतौनी सं० 353 के आ० ख.न. 220 रकबा 0.19 हे०, ख०न० 221 रकबा 0.004 हे०, ख.न. 222 रकबा 0.38 हे० ख.न. 223 डिक्रोक 0.06 हे०, ख.न. 224 रकबा 0.10 हे०, ख.न. 229 रकबा 0.05 हे०, ख.न. 230 रकबा 0.11 हे० ख.न. 234 रकबा 0.19 हे०, ख.न. 310 रकबा 0.22 हे० ख.न. 312 रकबा 0.08 हे० ख.न. 313 रकबा 0.34 हे० ख.न. 314 रकबा 0.06 हे०, ख.न. 315 रकबा 0.33 हे०, ख.न. 316 रकबा 0.29 हे० ख.न. 318 रकबा 0.24 हे०, ख.न. 319 रकबा 0.02 हे० ख.न. 320 रकबा 1.32 हे० = ...

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वगैरह मुबलिगे बाबत फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 11 सन 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी दूदू जयपुर

दस्तखत [signature]
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा दूदू

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्तानां वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

२८. ख.नं. 404 रकबा 0.77 हे0, ख.नं. 447 रकबा 1.73 हे0 कुल
किता -22 कुल रकबा 6.92 हे0 वाके ग्राम पानवां उर्फ
तहसील दूदू जिला जयपुर में दर्ज खातेदार सुवा
भेवरया, लाडू, धीस्या जाट की वल्दियत जुका पुत्र
श्योनाथ, भंवरिया पुत्र गंगाराम, धीस्या उर्फ धीसा
पुत्र भुवाना एवं लाडू पुत्र भागीरथ दर्ज करते
हुये वादी नं0 1 को 1/4 हिस्से का, वादी नं0 2 को
1/4 हिस्से का, वादी नं0 3 को 1/4 हिस्से का वादी
नं0 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी अधिकारी दूदू जयपुर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
दूदू